



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249010  
CG-DL-E-26092023-249010

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4059]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/ आश्विन 4, 1945

No. 4059]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4227(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जिस तारीख इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् ही विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव भी देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्र सरकार के विचारार्थ अपनी आपत्ति या सुझाव को सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या मंत्रालय के ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

### प्रारूप अधिसूचना

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य एवं ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य 776 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कश्मीर प्रांत के श्रीनगर, गंडेरबल और अनंतनाग जिलों में फैला हुआ है।

**और जहाँ कि,** दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है को अधिसूचना सं.एस.आर.ओ: 134, दिनांक 10 अप्रैल, 1990 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। ओवेरा अरू वन्यजीव अभयारण्य जिसका क्षेत्रफल 425 वर्ग किलोमीटर है, को एस.आर.ओ:154, दिनांक 19 मार्च, 1987 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है और थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य जिसका क्षेत्रफल 210 वर्ग किलोमीटर है को एस.आर.ओ: 156, दिनांक 19 मार्च, 1987 द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।

**और जहाँ कि,** दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर शहर से उत्तर-पूर्व में 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उद्यान औसत समुद्र तल से 1600 मीटर से 4250 मीटर की ऊंचाई के बीच ग्रेट जानस्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह केंद्र हिमालयन धुरी के उत्तर पश्चिम उपखंड बनाता है। दाचीगाम हंगुल (कश्मीर लाल हिरण), के अंतिम जीवनक्षम और उसकी स्थानिक संख्या के वास के लिए प्रसिद्ध है जो दक्षिण-पूर्व एशिया में बचा हुआ एकमात्र वास स्थल है। इस उद्यान की ऐसी प्रतिष्ठा है कि इसे देश में सर्वोत्तम प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यान होने का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

**और जहाँ कि,** थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर से उत्तर-पूर्व में 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभयारण्य 34°37' उ अक्षांश और 74°29' से 74°36' पू देशांतर के बीच स्थित है और इसके दायरे में समुद्र तल से 3015 मीटर से 5466 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां आती हैं। इसमें सिंध वन संभाग के वन कम्पार्टमेंट सं.56/एस से 62/एस तक भी आते हैं। इस क्षेत्र के मुख्य आकर्षण कश्मीर कस्तूरी मृग (मोस्यूस कूपरेयूस) और हिमालयन ब्राऊन भालू (अरसस अर्कटोस) जैसे जीवजंतु हैं। यह अभयारण्य अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्रों जैसे अरू, ऊपरी दाचीगाम और सिंध वन के साथ जुड़ा हुआ है। यह वन्यजीव अभयारण्य 'सोनमार्ग' की बड़ी-बड़ी बर्फीली चोटियों और सिंध नदी से घिरा हुआ है, जो कि इसकी ट्राउट और महसीर संख्या के लिए प्रसिद्ध है। थजवास ग्लेशियर पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है, जहाँ पर्यटक ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन पर आते हैं।

**और जहाँ कि,** ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य श्रीनगर के दक्षिण-पूर्व से 76 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 33°55'0"उ से 34°20'0" उ अक्षांश और 75°5'0" पू से 75°32'30" पू देशांतर के बीच स्थित है और कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिला के अंतर्गत आता है। ओवेरा-अरू अभयारण्य के वन अनेक झीलों और ग्लेशियरों से समृद्ध है, जो कि जल का बहुमूल्य स्रोत का काम करते हैं यही जल कई धाराओं का रूप लेकर शहर के परिधी से होते हुए ग्रामों के नीचे की ओर बहती हैं।

**और जहाँ कि,** दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान रॉजर्स ईटी एल., 2002 द्वारा किये गये जैव-भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार 2ए प्रांत के अंतर्गत आता है। संशोधित चैम्पियन और सेठ (1968) के अनुसार दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियाँ विशिष्ट रूप से हिमालयन आर्द्र समशीतोष्ण वन, उप-अल्पाइन वन और अल्पाइन वन प्रकार की हैं और आर्द्र समशीतोष्ण पर्णपाती वन, पर्रोटीया (पोहू) झाड़ी वन, पश्चिम हिमालयन निचला स्तर ब्लू पाइन वन, पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन, पर्णपाती अल्पाइन झाड़ी, पश्चिम हिमालयन उप-अल्पाइन ब्रीच-रहोडोडेनड्रोन वन, ड्वॉर्फ जूनीपर झाड़ी, शुष्क समशीतोष्ण झाड़ी के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।

**और जहाँ कि,** दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के कुछ विशिष्ट वनस्पतियों और जंतुओं में *उल्मस वाल्लिचिअना*, *सैलिक्स अल्बा*, *पोपुलुस स्पा.*, *पूनस आर्मेनिया*, *क्यूरकस रोबर*, *रोबिना प्सेउडोअकेशिया*, *पेरोटीओपसिस जेकाइमोंटिअना*, *रोसा वेब्विअना*, *रूबस निवेउस*, *ऐस्क्युलस इंडिका*, *जगलांस रेगिया*, *पाइनस ग्रिफिथी*, *एंगारडा (लयचनिस्कोनीरिया (एल.)*

डीसर), बाजारदांतु (पोटेंटिल्ला अट्रोसांगुइनालोडु.), तरुम्बादु (पिक्रिशियरकीओइड्स), घुडखुरा (तुस्सिलागो फार्फेरा), डोडड (कोडोनोप्सिस ओवेटे), रत्नजोत (ओनोसमाहिस्पिडम वल्लीचेक्स), कश्मीर रेड हिरन (केरवुस हंगलुहांगलु.), कश्मीरी कस्तूरी हिरन (मोस्चुस कुपरेउस), साधारण तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), हिमालयन ब्राउन भालू (उरसुस अरक्टोस इसाबेल्लिनस), एशियाई ब्लैक भालू (उरसुस थिअटानुस), कश्मीर ग्रे लंगूर (सेम्नोपिथेकस अजाक्स), हिमालयन ग्रिफफोन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस), बिग्रडिड गिद्ध (गयपेटस बारबेटस), कश्मीर फ्लाइकैचर (फिकेडुला सुबरूबरा), आदि आते हैं।

**और जहाँ कि,** थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र सालभर, अधिकतर मोटी बर्फ से आच्छादित रहता है। वृक्ष प्रजातियां जैसे एबिडस पिंड्रो, बेतुला उलटिलिस, जगलांस रेगिया और पिकेया स्पा. पुष्प वाले प्रमुख वृक्षों की श्रेणी में यह क्षेत्र इंडीगोफेरा हेतरांथ, बेरबेरिडस लयकिकम, और रोसा वेब्विअना जैसी मुख्य झाड़ियों से घिरा हुआ है। क्षेत्र की महत्वपूर्ण जीवजंतु प्रजातियों में ग्रे लंगूर (प्रस्वटीस इंटेल्नुस), रहेसुस मकाक (मकाका मुलाट्टा), साधारण तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), स्रो तेदुआ (पेन्थेरा यूनिका), तेंदुआ बिल्ली (फेलिस बेन्गालेंसिस), सियार (कैनिस ऑरियस), रेड लोमडी (वुल्पेस वुल्पेस), हिमालयन ब्राउन भालू (उरसुस अरक्टोस), एशियाटिक ब्लैक भालू (उरसुस थिबेटानुस), येल्लो थ्रोटेड मार्टीन (मारटीस फ्लाविगुला), लॉग-टेल्ड मर्मोट (मन्नोटा बोबक), रोलेस पिका (ओचोटोना रोयलेड), एशियाई इबेक्स (कपरा सिबरीका), कश्मीर मुस्क हिरन (मोस्चुस कुपरेउस), आदि आते हैं।

**और जहाँ कि,** ऊंचाई, आकृति और मृदा में भिन्नता के कारण, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलती है। अभयारण्य की वनस्पति मुख्यतः नालों के निकट निचला ऊंचे स्थान में कैल (पाइनस ग्रिफिथी) के साथ फर (एबीस् पीड्राव) है। भौतिक विविधताओं के कारण यहाँ तटीय वनस्पति (औसत समुद्र तल से 1600-2300 मीटर ऊंचाई पर), शंकुधारी वन (औसत समुद्र तल 2300-3000 मीटर), अल्पाइन झाड़ी और चरागाह (औसत समुद्र तल से 3000-3500 मीटर की ऊंचाई पर), रॉक फेस (औसत समुद्र तल 3500 मीटर की ऊंचाई पर) पाए जाते हैं। ओवेरा-अरू वन औषधीय बहुमूल्य पौधों की प्रजातियों से भी समृद्ध है। जैसे वन इस क्षेत्र में उगने वाले वन में कुछ औषधीय पौधे भी होते हैं जिसमें अकोनितम हेटेरोफयल्लुम, अरनेबिया बेंथामि, अरटेमिसिया अबसिंथियम, बेरबेरिस लीसियम, बेरगेनिया लिंगुलाटा, डानुरा स्तरामोनियम, डोओस्कोर अडेलेटोआईडिया, लवातेरा कासमेरिअना, सौस्सुरेया कोस्तुस और ताक्यस वाल्लिचिना आते हैं।

**और जहाँ कि,** ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य रॉजर्स और पनवार (1998) के द्वारा किए गए जैव-भौगोलिक सीमांकन के अनुसार हिमालयन जोन के उत्तर-पश्चिम प्रांत (प्रांत 2ए) के अंतर्गत आता है। इस प्रांत में संपूर्ण कश्मीर घाटी आती है और समशीतोष्ण और उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु कश्मीरी स्टेग एवं हंगुल (केरवुस हंगलु हंगलु), कश्मीर मुस्क हिरन (मोस्चुस कुपरेउस), हिमालयन ब्लैक भालू (उरसुस थिबेटानुस), हिमालयन ब्राउन भालू (उरसुस अरक्टोस), सामान्य तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), हिमालयन ग्रे लंगूर (प्रेस्वटीस अजाक्स), रीसस मकाक (मकाका मुलाट्टा), रेड लोमडी (वुल्पेस वुल्पेस), ब्राउन मुस्क श्रेव (करोकिडुरा मुरीना), येल्लो थ्रोटेड मार्टीन (मारटेस फ्लाविगुला), लॉग-टेल्ड मर्मोट (मारमोट हिमालियना), कश्मीर वेमपाँयर (मेरगाडेर्मा स्पेक्टरूम), लेइसलेर हेयरी-अरमेड बेट (निकतालुस लेस्सलेरी), कश्मीर हाउस रेट (रट्टुस रट्टुस), बिरच माउस (सिक्इस्टा इंडिका), कश्मीर फ्लाइ गिलहरी (इओगलाउकोमयस फिम्बरिअतुस), सेरोव (कापरिकोरनिस सुमात्रेनिस), रोयले पिका (ओचोटोना रोयेली), हिमालयन ग्रिफफोन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस), बियरडिड गिद्ध (गयपैतुस बारबेटुस), कश्मीर फ्लाइकैचर (फिकेडुला सुबरूबरा) आदि, का यहाँ पाया जाना इसकी विशेषता है।

**और जहाँ कि,** दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और थजवास वन्यजीव (बालटाल) अभयारण्य की प्राकृतिक सीमाएं एक दूसरे से खुले भू-समतलीय स्तर पर मिलती हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग पर ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलती है जबकि ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वी भाग पर थजवास वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलती है। यह संरक्षित क्षेत्र समृद्ध जैव-

विविधता और पशुओं, पक्षियों और वनस्पति की कुछ महत्वपूर्ण/स्थानिक प्रजातियों की अच्छी खासी जनसंख्या से मिलकर बना है। प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन इन क्षेत्रों को एक ही इकाई बनाता है और इससे इन क्षेत्रों में जैव-विविधता के विकास के लिए जीन प्रवाह करने में मदद मिलेगी।

**और जहाँ कि,** दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमा इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों को और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

**अतः** अब, केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 200 मीटर से 13.15 किलोमीटर तक विस्तारित, क्षेत्र को दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, यथा :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 200 मीटर से 13.15 किलोमीटर तक है और इस प्रकार इसका क्षेत्रफल 448.00 वर्ग किलोमीटर का बनता है। विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार निम्नानुसार है:-

दिशा	विस्तार	अवस्थान
पश्चिम	200 मीटर	पीडब्ल्यूडी जल टैंक और जलाशय
दक्षिण	13.15 किलोमीटर	खेव सीआर सीमा
दक्षिण पश्चिम	5 किलोमीटर	खानमोह सीआर सीमा
दक्षिण पूर्व	1 किलोमीटर	ममल वन, लिडुर नाला
पूर्व	1 किलोमीटर	निचांग, अल्पाइन चरागाह
उत्तर पूर्व	1 किलोमीटर	सेर्बल ग्राम, सिंध वन
उत्तर	1 किलोमीटर	सिंध का वन
उत्तर पश्चिम	4 किलोमीटर	लिडवास, अल्पाइन चारागाह द्वारा सीआर सीमा

(2) दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक-IIक**, **अनुलग्नक-IIख**, **अनुलग्नक-IIग** और **अनुलग्नक-IIघ** के रूप में संलग्न हैं।

(4) दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**—(1) संघ शासित प्रदेश की सरकार इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर तथा स्थानीय लोगों के साथ परामर्श करके और इस संघ शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु इस अधिसूचना में दी गयी विनिर्दिष्टियों का अनुपालन करते हुए इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश विधियों के अनुरूप तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी बातों को शामिल करने के लिए इसे केंद्र शासित प्रदेश सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, यथा:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (x) नगरपालिका;
- (xi) पंचायती राज; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक सक्षम और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चयन एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज का काम करेगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

**3. केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** केंद्र शासित प्रदेश सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, यथा:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन किये जाने को अनुमति नहीं दी जायेगी:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर, ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, कृषि और अन्य भूमि के संपरिवर्तन को निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी, यथा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह बास; और

(v) पैराग्राफ-4 में यथा उल्लिखित क्रियाकलाप जिन्हें बढ़ावा दिया गया:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों के द्वारा पुनः वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** सभी प्राकृतिक जलस्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस तरह से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार ही हो सकेंगे।

(ख) यह पर्यटन महायोजना संघ शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा संघ शासित प्रदेश के ही पर्यटन और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का ही एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, यथा:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी नये होटल या रिजॉर्ट के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परंतु यह पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पारिस्थितिकी सुविधाओं के लिए केवल पूर्व निर्धारित या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना की अनुमति दी जा सकेगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार ही किया जा सकेगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार के लिए वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमति दी जा सकेगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जिन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनके सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना भी बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना भी बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के निरापद और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की अनुमति दी जा सकेगी।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निरापद और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की अनुमति दी जा सकेगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।



(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों, जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है, सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अधिशासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, यथा:-

#### सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी;  (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006, 26 अप्रैल, 2023 और 28-04-2023 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में आये तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी:  परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	प्रतिषिद्ध।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिष्कारों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
7.	ईट भट्टों को खोलना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु, गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी।
11.	निर्माणकारी क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जा सकेगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किये जा सकेंगे और ऐसे क्रियाकलाप कम से कम ही किये जायेंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) केन्द्र शासित सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं हो सकेगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित संघ शासित प्रदेश के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा

	बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शयनात्मक उपाय किए जाएंगे।
18.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
21.	फार्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सरण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	विनियमित एवं सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
<b>ग.संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, एक निगरानी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, यथा:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	संभागीय आयुक्त, कश्मीर	अध्यक्ष, पदेन;
2.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	गैर सरकारी सदस्य;
3.	जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	गैर सरकारी सदस्य;
4.	जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले जैव विविधता का एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।	गैर सरकारी सदस्य;
5.	उपायुक्त, श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
6.	उपायुक्त, गंदरबल	सदस्य, पदेन;
7.	उपायुक्त, अनंतनाग	सदस्य, पदेन;
8.	उपायुक्त, पुलवामा	सदस्य, पदेन;
9.	उपायुक्त, श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
10.	• निदेशक पर्यटन, कश्मीर	सदस्य, पदेन;
11.	• उपाध्यक्ष, श्रीनगर विकास प्राधिकरण	सदस्य, पदेन;
12.	• क्षेत्रीय निर्देशक, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
13.	• वरिष्ठ नगर नियोजक, कश्मीर	सदस्य, पदेन;
14.	• प्रभागीय वन अधिकारी, सिंध वन प्रभाग	सदस्य, पदेन;
15.	प्रभागीय वन अधिकारी, लिड्डेर वन प्रभाग	सदस्य, पदेन;
16.	प्रभागीय वन अधिकारी, अवंतीपुरा	सदस्य, पदेन;
17.	प्रभागीय वन अधिकारी, शहरी वानिकी श्रीनगर	सदस्य, पदेन;
18.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोनमर्ग विकास प्राधिकरण	सदस्य, पदेन;
19.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पहलगाम विकास प्राधिकरण	सदस्य, पदेन;
20.	वन्यजीव वार्डन, केन्द्रीय प्रभाग	सदस्य, पदेन;
21.	वन्यजीव वार्डन, दक्षिण प्रभाग	सदस्य, पदेन;
22.	क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन, कश्मीर	सदस्य सचिव, पदेन;

**6. निगरानी समिति के कार्य:-** (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो कि भारत सरकार, के एतदपूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, के अंतर्गत आते हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में हो रहे हों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से पूर्व-क्लियरेन्स के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण के पास सन्दर्भित कर दिए गए हों।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मामले दर मामले की आवश्यकता के आधार पर निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति अनुलग्नक-V में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय:- इस अधिसूचना के उपबंधों को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, भी विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश:- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गए या जारी किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/19/2020-ईएसजेड]

डॉ. एस. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरु वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ओवेरा - अरु और थजवास वन्यजीव अभयारण्य के आसपास प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं का भौतिक रूप से वर्णन (जैसे सड़कें, पहाड़ियाँ, नदी निकाय आदि) सीमा पर एक बिंदु से शुरू करके और फिर दक्षिणावर्त दिशा में चलते हुए सीमा और प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुँचने का वर्णन इस प्रकार है:



क्र.सं.	मानचित्र पर दक्षिणावर्त अंकित बिंदु (अनुलग्नक-IIख)	अक्षांश	देशांतर	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी	विवरण
1	ए79	34° 3' 15.251" उ	75° 8' 0.671" पू	4000 मीटर	त्राल वन्यजीव अभयारण्य सीमा
2	ए80	34° 2' 58.075" उ	75° 4' 43.320" पू	5800 मीटर	त्राल वन्यजीव अभयारण्य सीमा
3	ए78	34° 3' 54.827" उ	75° 10' 9.078" पू	1000 मीटर	सीओ 22/त्राल वन क्षेत्र, पंवाच खोड
4	ए77	34° 3' 32.136" उ	75° 11' 49.204" पू	1000 मीटर	सीओ 13/त्राल वन क्षेत्र
5	ए76	34° 0' 51.106" उ	75° 11' 47.399" पू	1500 मीटर	सीओ 24/वन क्षेत्र
6	ए75	33° 58' 40.560" उ	75° 12' 45.305" पू	1000 मीटर	सीओ 3 वन क्षेत्र, वाटवागर
7	ए74	33° 55' 59.424" उ	75° 14' 14.040" पू	1000 मीटर	सीओ 51/एल वन क्षेत्र

8	ए73	33° 55' 30.071" उ	75° 15' 57.718" पू	1000 मीटर	सीओ 50/एल, ओउर ग्राम, लिडुर वन
9	ए72	33° 56' 24.120" उ	75° 17' 31.265" पू	1000 मीटर	सीओ 45/एल, लिडुर नाला
10	ए71	33° 57' 15.929" उ	75° 18' 3.605" पू	1000 मीटर	खेलन वन
11	ए70	33° 59' 22.631" उ	75° 19' 46.479" पू	1000 मीटर	मामाल वन, लिडुर नाला
12	ए69	34° 0' 39.145" उ	75° 19' 30.680" पू	1000 मीटर	मामाल ग्राम लिडुर वन
13	ए68	34° 2' 18.510" उ	75° 18' 46.000" पू	1000 मीटर	वाचरन, लिडुर वन
14	ए67	34° 4' 17.693" उ	75° 20' 27.833" पू	2000 मीटर	सीओ 19/एल, वन क्षेत्र, संगम
15	ए66	34° 5' 56.905" उ	75° 22' 34.820" पू	2000 मीटर	सीओ 16, अल्पाइन चारागाह, सरनार
16	ए65	34° 6' 33.678" उ	75° 23' 43.486" पू	2000 मीटर	राजदान नर, अल्पाइन चारागाह
17	ए64	34° 7' 17.036" उ	75° 24' 47.423" पू	2000 मीटर	सीओ 12/एल, अल्पाइन चारागाह
18	ए63	34° 7' 58.882" उ	75° 25' 23.100" पू	2000 मीटर	रबेमार्ग, अल्पाइन चारागाह
19	ए62	34° 8' 0.552" उ	75° 26' 31.540" पू	2000 मीटर	छुट दर्रा, अल्पाइन चारागाह
20	ए61	34° 7' 4.716" उ	75° 27' 28.791" पू	2000 मीटर	अस्तानमार्ग, अल्पाइन चारागाह
21	ए60	34° 5' 29.317" उ	75° 29' 6.805" पू	3500 मीटर	वहाबल टॉप, अल्पाइन चारागाह
22	ए59	34° 4' 56.071" उ	75° 32' 7.704" पू	2000 मीटर	गुडडी गली, अल्पाइन चारागाह
23	ए58	34° 6' 41.702" उ	75° 33' 43.985" पू	2000 मीटर	अल्पाइन चारागाह
24	ए57	34° 9' 16.025" उ	75° 33' 34.143" पू	1000 मीटर	निचांग, अल्पाइन चारागाह
25	ए55	34° 13' 3.553" उ	75° 28' 22.872" पू	1000 मीटर	नागिन पाथर सिंध वन
26	ए54	34° 14' 27.098" उ	75° 25' 33.864" पू	1000 मीटर	डोमेल वन, सिंध वन
27	ए53	34° 16' 48.778" उ	75° 21' 57.738" पू	1000 मीटर	सरबल ग्राम, सिंध वन
28	ए52	34° 18' 6.772" उ	75° 19' 50.204" पू	1000 मीटर	इचामार्ग सिंध वन
29	ए51	34° 18' 58.878" उ	75° 16' 46.479" पू	1000 मीटर	सिंध का वन
30	ए50	34° 18' 5.637" उ	75° 14' 56.678" पू	1000 मीटर	सिंध नदी
31	ए49	34° 17' 29.286" उ	75° 14' 31.634" पू	300 मीटर	सिंध नदी
32	ए48	34° 16' 56.159" उ	75° 14' 1.212" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह
33	ए47	34° 15' 49.113" उ	75° 14' 49.986" पू	1000 मीटर	गंज वन, सिंध प्रभाग
34	ए46	34° 15' 16.878" उ	75° 15' 1.176" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह
35	ए45	34° 14' 37.991" उ	75° 13' 45.388" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह

36	ए44	34° 14' 18.503" उ	75° 12' 42.915" पू	1000 मीटर	सीओ 53/एस, अल्पाइन चारागाह
37	ए43	34° 13' 35.740" उ	75° 11' 40.523" पू	1000 मीटर	सीओ 49/एस, अल्पाइन चारागाह
38	ए42	34° 12' 36.944" उ	75° 10' 45.661" पू	1000 मीटर	सीओ 45/एस, अल्पाइन चारागाह
39	ए41	34° 12' 46.428" उ	75° 9' 53.324" पू	1000 मीटर	सीओ 44/एस, अल्पाइन चारागाह
40	ए40	34° 12' 31.919" उ	75° 8' 33.634" पू	1000 मीटर	सीओ 41/एस, अल्पाइन चारागाह
41	ए39	34° 12' 17.483" उ	75° 7' 29.182" पू	1000 मीटर	सीओ 39/एस, अल्पाइन चारागाह
42	ए38	34° 10' 54.508" उ	75° 7' 37.519" पू	1000 मीटर	सीओ 34/एमबीएल, अल्पाइन चारागाह
43	ए37	34° 9' 44.700" उ	75° 5' 30.248" पू	1000 मीटर	होका सार, अल्पाइन चारागाह
44	ए36	34° 11' 25.897" उ	75° 3' 11.160" पू	1000 मीटर	सुरा फ़िराओ वन, सिंध
45	ए35	34° 11' 30.915" उ	75° 0' 43.381" पू	1000 मीटर	लिडवास, अल्पाइन चारागाह
46	ए34	34° 12' 58.353" उ	74° 55' 33.494" पू	4000 मीटर	लिडवास, अल्पाइन चारागाह दारा सीआर सीमा
47	ए33	34° 12' 14.645" उ	74° 53' 2.294" पू	4000 मीटर	तुलापाथर, वन दारा सीआर सीमा
48	ए32	34° 12' 0.537" उ	74° 55' 9.431" पू	2500 मीटर	दारा नाला, दारावन, वन दारा सीआर सीमा
49	ए31	34° 10' 56.846" उ	74° 55' 30.008" पू	500 मीटर	चक-ए-दारा ग्राम
50	ए30	34° 10' 30.271" उ	74° 54' 28.658" पू	200 मीटर	मुरिन्दरबाग गाँव, जल निकाय
51	ए29/1	34° 10' 16.143" उ	74° 55' 17.265" पू	200 मीटर	कृषि भूमि, नु थिड ग्राम
52	ए29	34° 9' 22.069" उ	74° 55' 46.856" पू	200 मीटर	महादेव नर, कृषि भूमि
53	ए28	34° 9' 21.172" उ	74° 55' 11.641" पू	200 मीटर	मावस कोल
54	ए27	34° 9' 38.496" उ	74° 54' 20.173" पू	200 मीटर	पीडब्लूडी जल टैंक और जलाशय
55	ए26	34° 8' 25.731" उ	74° 53' 17.089" पू	1220 मीटर	निशात सीआर सीमा
56	ए25	34° 4' 35.364" उ	74° 51' 21.879" पू	6500 मीटर	खानमोह सीआर सीमा ज़वान वन
57	ए24	34° 3' 6.963" उ	74° 54' 15.042" पू	5000 मीटर	खानमोह सीआर सीमा
58	ए23	34° 5' 0.460" उ	74° 57' 56.832" पू	1000 मीटर	खुला स्क़व
59	ए22	34° 3' 23.601" उ	75° 0' 45.759" पू	3350 मीटर	खानमोह सीआर सीमा
60	ए21	34° 1' 32.777" उ	75° 1' 41.557" पू	6000 मीटर	ख़ेव सीआर सीमा
61	ए20	33° 57' 50.300" उ	75° 2' 12.931" पू	13150 मीटर	ख़ेव सीआर सीमा
62	ए 56	34° 11' 46.161" उ	75° 30' 28.774" पू	1000 मीटर	पंजतरनी, सिंध वन

अनुलग्नक -II क


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र





अनुलग्नक -II ख


मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं को दर्शाने वाला सैटेलाइट मानचित्र






अनुलग्नक -II ग

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र




अनुलग्नक -II घ

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग भूमि कवर मानचित्र



## अनुलग्नक -II ड

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा- अरू वन्यजीव अभयारण्य के आस पास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



## अनुलग्नक -III

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं.	जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1.	टी1	34° 18' 31.334" उ	75° 16' 1.008" पू
2.	टी2	34° 15' 19.739" उ	75° 24' 55.872" पू
3.	टी3	34° 8' 48.822" उ	75° 32' 56.938" पू
4.	टी4	34° 6' 0.385" उ	75° 31' 49.779" पू
5.	टी5	34° 9' 52.582" उ	75° 27' 25.352" पू
6.	ओ1	34° 15' 39.604" उ	75° 15' 37.636" पू
7.	ओ2	34° 0' 29.406" उ	75° 18' 52.83" पू
8.	ओ3	34° 11' 44.538" उ	75° 7' 40.264" पू
9.	ओ4	33° 56' 9.122" उ	75° 16' 29.126" पू
10.	ओ5	34° 4' 12.609" उ	75° 12' 19.830" पू
11.	ओ6	34° 9' 53.328" उ	75° 19' 47.445" पू
12.	उत्तर	34° 10' 59.814" उ	75° 0' 46.439" पू
13.	पूर्व	34° 7' 18.640" उ	75° 8' 49.395" पू
14.	दक्षिण	34° 4' 55.882" उ	75° 1' 59.025" पू
15.	उत्तर पश्चिम	34° 9' 16.933" उ	74° 55' 51.029" पू
16.	उत्तर-पूर्व	34° 9' 12.130" उ	75° 5' 17.320" पू
17.	दक्षिण पश्चिम	34° 5' 59.836" उ	74° 58' 31.401" पू
18.	दक्षिण-पूर्व	34° 5' 34.450" उ	75° 6' 53.738" पू

ख. दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमाओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं	मानचित्र पर चिह्नित दक्षिणावर्त बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	ए79	34° 3' 15.251" उ	75° 8' 0.671" पू
2	ए80	34° 2' 58.075" उ	75° 4' 43.320" पू
3	ए78	34° 3' 54.827" उ	75° 10' 9.078" पू
4	ए77	34° 3' 32.136" उ	75° 11' 49.204" पू
5	ए76	34° 0' 51.106" उ	75° 11' 47.399" पू
6	ए75	33° 58' 40.560" उ	75° 12' 45.305" पू
7	ए74	33° 55' 59.424" उ	75° 14' 14.040" पू
8	ए73	33° 55' 30.071" उ	75° 15' 57.718" पू
9	ए72	33° 56' 24.120" उ	75° 17' 31.265" पू
10	ए71	33° 57' 15.929" उ	75° 18' 3.605" पू
11	ए70	33° 59' 22.631" उ	75° 19' 46.479" पू
12	ए69	34° 0' 39.145" उ	75° 19' 30.680" पू
13	ए68	34° 2' 18.510" उ	75° 18' 46.000" पू
14	ए67	34° 4' 17.693" उ	75° 20' 27.833" पू
15	ए66	34° 5' 56.905" उ	75° 22' 34.820" पू
16	ए65	34° 6' 33.678" उ	75° 23' 43.486" पू
17	ए64	34° 7' 17.036" उ	75° 24' 47.423" पू
18	ए63	34° 7' 58.882" उ	75° 25' 23.100" पू
19	ए62	34° 8' 0.552" उ	75° 26' 31.540" पू
20	ए61	34° 7' 4.716" उ	75° 27' 28.791" पू
21	ए60	34° 5' 29.317" उ	75° 29' 6.805" पू
22	ए59	34° 4' 56.071" उ	75° 32' 7.704" पू
23	ए58	34° 6' 41.702" उ	75° 33' 43.985" पू
24	ए57	34° 9' 16.025" उ	75° 33' 34.143" पू
25	ए55	34° 13' 3.553" उ	75° 28' 22.872" पू
26	ए54	34° 14' 27.098" उ	75° 25' 33.864" पू
27	ए53	34° 16' 48.778" उ	75° 21' 57.738" पू
28	ए52	34° 18' 6.772" उ	75° 19' 50.204" पू
29	ए51	34° 18' 58.878" उ	75° 16' 46.479" पू
30	ए50	34° 18' 5.637" उ	75° 14' 56.678" पू
31	ए49	34° 17' 29.286" उ	75° 14' 31.634" पू
32	ए48	34° 16' 56.159" उ	75° 14' 1.212" पू
33	ए47	34° 15' 49.113" उ	75° 14' 49.986" पू
34	ए46	34° 15' 16.878" उ	75° 15' 1.176" पू
35	ए45	34° 14' 37.991" उ	75° 13' 45.388" पू
36	ए44	34° 14' 18.503" उ	75° 12' 42.915" पू
37	ए43	34° 13' 35.740" उ	75° 11' 40.523" पू

38	ए42	34° 12' 36.944" उ	75° 10' 45.661" पू
39	ए41	34° 12' 46.428" उ	75° 9' 53.324" पू
40	ए40	34° 12' 31.919" उ	75° 8' 33.634" पू
41	ए39	34° 12' 17.483" उ	75° 7' 29.182" पू
42	ए38	34° 10' 54.508" उ	75° 7' 37.519" पू
43	ए37	34° 9' 44.700" उ	75° 5' 30.248" पू
44	ए36	34° 11' 25.897" उ	75° 3' 11.160" पू
45	ए35	34° 11' 30.915" उ	75° 0' 43.381" पू
46	ए34	34° 12' 58.353" उ	74° 55' 33.494" पू
47	ए33	34° 12' 14.645" उ	74° 53' 2.294" पू
48	ए32	34° 12' 0.537" उ	74° 55' 9.431" पू
49	ए31	34° 10' 56.846" उ	74° 55' 30.008" पू
50	ए30	34° 10' 30.271" उ	74° 54' 28.658" पू
51	ए29/1	34° 10' 16.143" उ	74° 55' 17.265" पू
52	ए29	34° 9' 22.069" उ	74° 55' 46.856" पू
53	ए28	34° 9' 21.172" उ	74° 55' 11.641" पू
54	ए27	34° 9' 38.496" उ	74° 54' 20.173" पू
55	ए26	34° 8' 25.731" उ	74° 53' 17.089" पू
56	ए25	34° 4' 35.364" उ	74° 51' 21.879" पू
57	ए24	34° 3' 6.963" उ	74° 54' 15.042" पू
58	ए23	34° 5' 0.460" उ	74° 57' 56.832" पू
59	ए22	34° 3' 23.601" उ	75° 0' 45.759" पू
60	ए21	34° 1' 32.777" उ	75° 1' 41.557" पू
61	ए20	33° 57' 50.300" उ	75° 2' 12.931" पू
62	ए 56	34° 11' 46.161" उ	75° 30' 28.774" पू

## अनुलग्नक -IV

भू-निर्देशांकों के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम की सूची

दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, थजवास (बालटाल) वन्यजीव अभयारण्य और ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्राम/नगर:

**सारणी क: भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

**(दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान)**

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
पश्चिम	हरवान	34° 9' 6.755" उ	74° 53' 55.414" पू
उत्तर-पश्चिम	संगारवान	34° 12' 7.839" उ	74° 55' 44.493" पू
	अलीपतांवार	34° 12' 34.883" उ	74° 55' 7.277" पू
	संगरिश	34° 12' 23.998" उ	74° 53' 1.689" पू

	नीलपंचाल	34° 10' 36.535" उ	74° 57' 48.842" पू
	लिडवास	34° 10' 7.469" उ	74° 59' 6.327" पू
	सोनासर	34° 9' 58.283" उ	75° 4' 59.318" पू
	चक-ए-दारा	34° 10' 55.184" उ	74° 55' 42.793" पू
	दारावान	34° 10' 50.716" उ	74° 57' 3.790" पू
दक्षिण-पूर्व	नारस्तान	34° 3' 44.756" उ	75° 6' 8.078" पू
	परांगोम	34° 4' 37.377" उ	75° 5' 10.638" पू
	जुआस्तान	34° 4' 28.826" उ	75° 4' 43.266" पू
	हजन्नार	34° 4' 40.119" उ	75° 3' 51.195" पू
दक्षिण	हकावन	34° 4' 9.288" उ	75° 3' 11.158" पू
	अरपाल नर	34° 0' 45.312" उ	75° 3' 50.430" पू
	वहाबखारून	33° 59' 41.933" उ	75° 2' 26.015" पू
	मशवां	34° 0' 19.134" उ	75° 3' 7.192" पू
दक्षिण	सांगरी	34° 5' 44.981" उ	74° 58' 47.442" पू
दक्षिण	पहल चक	34° 4' 57.139" उ	75° 0' 16.550" पू
दक्षिण-पूर्व	गौसाई	33° 59' 5.227" उ	75° 0' 46.357" पू
उत्तर-पूर्व	दरबल	34° 1' 21.075" उ	75° 3' 18.698" पू
	सुत्तुरबल	34° 2' 25.226" उ	75° 3' 15.799" पू
	सेथापोखिरिन	34° 2' 54.372" उ	75° 2' 53.756" पू
	नागंदर	34° 4' 2.450" उ	75° 2' 22.903" पू
	विष्णु पद	34° 1' 56.086" उ	75° 0' 15.121" पू
	होकासर	34° 9' 46.028" उ	75° 6' 6.465" पू
दक्षिण-पश्चिम	घरकुट	34° 4' 45.188" उ	74° 52' 26.657" पू
	चश्मा शाही	34° 5' 4.522" उ	74° 53' 19.845" पू
	अस्तानमार्ग	34° 5' 41.483" उ	74° 54' 35.626" पू

सारणी ख: भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची  
(ओवेरा-अरू वन्यजीव अभयारण्य)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
उत्तर-पूर्व	गोनहर	34° 6' 41.460" उ	75° 22' 38.632" पू
	कोरानपत्थर	34° 5' 6.212" उ	75° 20' 37.691" पू
	चुस्पनथल	34° 4' 30.433" उ	75° 20' 25.571" पू
	नागिनपथरी	34° 3' 48.163" उ	75° 19' 55.467" पू
	नगराड	34° 3' 32.064" उ	75° 19' 20.233" पू
	ज़राजत्सक	34° 3' 14.452" उ	75° 18' 25.916" पू
	हजकुट	34° 2' 56.095" उ	75° 18' 19.490" पू



	बरारीपथरी	34° 3' 9.923" उ	75° 19' 31.748" पू
	ज़मवारुब	34° 3' 4.085" उ	75° 19' 1.421" पू
	वोवुर्गसु	34° 2' 49.620" उ	75° 17' 52.905" पू
पूर्व	लारीपुर	34° 2' 0.264" उ	75° 18' 54.076" पू
	पहलगाम	34° 0' 48.271" उ	75° 19' 15.500" पू
दक्षिण-पूर्व	कौमार्ग	34° 0' 21.628" उ	75° 19' 19.049" पू
	नुनवानाह	33° 59' 59.090" उ	75° 19' 18.119" पू
	गांशीबल	33° 59' 34.662" उ	75° 19' 21.691" पू
	नाइट्रोइस्पाथर	33° 58' 46.269" उ	75° 19' 31.091" पू
	रकीदार	33° 58' 18.367" उ	75° 19' 16.612" पू
	लिडू	33° 57' 59.147" उ	75° 19' 3.859" पू
	खेलन	33° 57' 25.722" उ	75° 18' 3.718" पू
दक्षिण	वरसिरन	33° 56' 44.701" उ	75° 17' 35.401" पू
	लार	33° 56' 2.720" उ	75° 17' 14.693" पू
	ओवर	33° 56' 10.072" उ	75° 16' 43.168" पू
	नालारओवुर	33° 56' 42.348" उ	75° 15' 53.970" पू
	दाह्वोट	33° 55' 43.079" उ	75° 16' 39.136" पू
दक्षिण-पश्चिम	वटवागन	33° 58' 39.156" उ	75° 12' 55.367" पू
	बानीमार्ग	33° 59' 57.120" उ	75° 12' 48.798" पू
	लिचिडोर	34° 1' 43.928" उ	75° 13' 2.038" पू
	पम्बागाई	34° 3' 55.140" उ	75° 11' 1.623" पू
	पंबाछखोद	34° 4' 28.345" उ	75° 9' 52.002" पू
उत्तर	देव मस्जिद	34° 10' 17.132" उ	75° 7' 8.045" पू
	यमहर	34° 12' 21.636" उ	75° 9' 7.605" पू
	गुंबर	34° 12' 38.221" उ	75° 11' 16.754" पू

सारणी ग: भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

(थजवास वन्यजीव अभयारण्य)

दिशा	ग्राम का नाम	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
उत्तर - पूर्व	शिटकारी	34° 18' 27.051" उ	75° 15' 37.234" पू
	थाजवास	34° 18' 14.630" उ	75° 16' 22.825" पू
उत्तर	सोनमर्ग	34° 18' 12.004" उ	75° 17' 57.697" पू
उत्तर-पश्चिम	नीलागरार	34° 17' 33.985" उ	75° 19' 33.272" पू
	कोकरण	34° 17' 5.503" उ	75° 20' 34.803" पू
	रंगा	34° 16' 1.997" उ	75° 22' 56.646" पू
	बालटाल	34° 15' 13.873" उ	75° 25' 10.132" पू

	डोमेल	34° 14' 8.346" उ	75° 24' 57.546" पू
	ब्रारिमार्ग	34° 13' 2.859" उ	75° 26' 55.023" पू
	कुठपाथर	34° 12' 47.019" उ	75° 27' 46.960" पू
	नागिनपाथर	34° 12' 27.517" उ	75° 28' 20.634" पू
	संगम	34° 12' 8.537" उ	75° 28' 47.432" पू
पूर्व	पंजतरणी	34° 11' 24.006" उ	75° 30' 7.580" पू
	प्रजमार्ग	34° 10' 36.596" उ	75° 31' 0.492" पू
दक्षिण-पूर्व	निछंग	34° 8' 47.776" उ	75° 33' 2.310" पू
	कैनमार	34° 6' 33.065" उ	75° 33' 22.637" पू
	वाँजन	34° 6' 4.290" उ	75° 30' 27.261" पू
	वाहबल	34° 7' 8.131" उ	75° 30' 35.322" पू
	सास्काटगुलु	34° 7' 5.742" उ	75° 28' 40.851" पू
	गुरलोपुन	34° 7' 37.227" उ	75° 27' 19.300" पू
दक्षिण	पोशापाथरगुलु	34° 8' 16.873" उ	75° 27' 7.015" पू
	नौनार	34° 9' 43.038" उ	75° 27' 22.340" पू
दक्षिण-पश्चिम	किनार	34° 9' 2.534" उ	75° 27' 35.277" पू
	रबेमार्ग	34° 8' 40.610" उ	75° 25' 2.823" पू
	डांडेरांगुलु	34° 7' 39.144" उ	75° 23' 54.155" पू

## अनुलग्नक-V

## की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।



**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2023

**S.O. 4227(E).**— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**DRAFT NOTIFICATION**

**WHEREAS**, the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary is spread over an area of 776 sq.km. and is located in the Srinagar, Ganderbal and Anantnag Districts in Kashmir province of the Union Territory of Jammu and Kashmir.

**AND WHEREAS**, the Dachigam National Park, comprising an area of 141 sq.km. has been notified as National Park *vide* notification No. S.R.O:134, dated 10<sup>th</sup> April, 1990. The Overa Aru Wildlife Sanctuary comprising an area of 425 sq.km. has been notified as Wildlife Sanctuary *vide* S.R.O: 154 dated 19<sup>th</sup> March, 1987 and Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary comprising an area of 210 sq.km. has been notified as Wildlife Sanctuary *vide* S.R.O: 156 dated 19<sup>th</sup> March, 1987.

**AND WHEREAS**, the Dachigam National Park is located at a distance of 21 km, North-East from Srinagar city. The park lies in the great Zaskar mountain range between altitudes of 1600 metres to 4250 meters above mean sea level and forms the North-West branch of the Central Himalayan axis. The Dachigam is famous for harbouring the last viable and endemic population of Hangul (Kashmir red deer), the only abode left in South-East Asia. The park has the prestige to be the recipient of the award for the best managed National Park in the country.

**AND WHEREAS**, the Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary is located at a distance of 105 kilometer, North-East from Srinagar. The sanctuary lies between 34°37' N Latitude and 74°29' to 74°36' E Longitude and covers an altitudinal range of 3,015 m to 5,466 m above mean sea level. It comprises of forest compartment numbers from 56/S to 62/S of Sindh Forest Division. The main faunal attraction of this area is the Kashmir musk deer (*Moschus cupreus*) and Himalayan brown bear (*Ursus arctos*). The sanctuary is connected with other important wildlife areas, like Aru, Upper Dachigam and the Sindh forest. The Wildlife Sanctuary is flanked by the large snow laden peaks of 'Sonamarg' and the Sindh River, which is famous for its trout and mahseer population. Thajwas glacier is one of the tourist attraction visited by tourists in the summer months.

**AND WHEREAS**, the Overa-Aru Wildlife Sanctuary is located at a distance of 76 kilometres from South-East of Srinagar. It lies between 33°55'0"N to 34°20'0" N Latitude and 75°5'0" E to 75°32'30" E Longitude and falls in the Anantnag District of the Kashmir Valley. The forests of Overa-Aru sanctuary are blessed with a number of lakes and glaciers, which happen to be invaluable sources of water, feeding numerous streams that flow down into the villages situated near the periphery.

**AND WHEREAS**, the Dachigam National Park comes under 2A province of bio-geographic classification as suggested by Rodgers et al., 2002. As per revised Champion and Seth (1968), the vegetation of Dachigam National Park is typically Himalayan moist temperate forest, sub-alpine forest and alpine forest type and can be classified into moist temperate deciduous forest, Parrotia (pohu) scrub forest, west Himalayan low level blue pine forest, western mixed coniferous forest, deciduous alpine scrub, west Himalayan sub-alpine birch-rhododendron forest, dwarf juniper scrub, dry temperate scrub.

**AND WHEREAS**, some of the notable flora and fauna of the Dachigam National Park include *Ulmus wallichiana*, *Salix alba*, *Populus* sp., *Prunus armeniaca*, *Quercus robur*, *Robina pseudoacacia*, *Parrotiopsis jacquemontiana*, *Rosa webbiana*, *Rubus niveus*, *Aesculus indica*, *Juglans regia*, *Pinus griffithii*, *Angarda* (*Lychniscornaria* (L.) Desr.), *Bajardantu* (*Potentilla atrosanguinea* Lodd.), *trumbadu* (*Picrishiheracioides*), *Ghudkhura* (*Tussilago farfara*), *dodad* (*Codonopsis ovate*), *ratanjot* (*Onosmahispidium wallichex*), Kashmir red deer (*Cervus hangluhanlu*), Kashmir musk deer (*Moschus cupreus*), common leopard (*Panthera pardus*), Himalayan brown bear (*Ursus arctos isabellinus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Kashmir gray langur (*Semnopithecus ajax*), Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), Kashmir flycatcher (*Ficedula subrubra*), etc.

**AND WHEREAS**, the area of Thajwas Wildlife (Baltal) Sanctuary is covered mostly under thick snow, round the year. The tree species such as *Abies pindrow*, *Betula utilis*, *Juglans regia* and *Picea* sp. constitute the major assemblage of tree flora. *Indigofera Hetranth*, *Berberies Lycicum*, and *Rosa Webbiana* constitute the major shrub cover of the area. The important faunal species of the area are grey langur (*Presbytis entellus*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), common leopard (*Panthera pardus*), snow leopard (*Panther unica*), leopard cat (*Felis bengalensis*), jackal (*Canis aureus*), red fox (*Vulpes vulpes*), Himalayan brown bear (*Ursus arctos*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Yellow throated martin (*Martis flavigula*), long-tailed marmot (*Mannota bobak*), Royle's pika (*Ochotona roylei*), Asiatic ibex (*Capra sibirica*), Kashmir musk deer (*Moschus cupreus*) etc.

**AND WHEREAS**, due to variation in altitude, aspect and soil, a diversity of vegetation is discernible in the Overa-Aru Wildlife Sanctuary. The vegetation of the Sanctuary is mainly fir (*Abies pindrow*) with kail (*Pinus griffithi*) in the lower elevations near Nallas. On varied physical variations the forest types found are Riverian Vegetation (1600-2300meters above mean sea level), Coniferous Forests:(2300-3000 meters above mean sea level), Alpine Scrubs and Pastures:(Beyond 3000-3500meters above mean sea level), Rock Faces:(Beyond 3500meters above mean sea level). The Overa-Aru forests are blessed with numerous plant species of great medicinal value. Some of the medical plants growing wild in the area include *Aconitum heterophyllum*, *Arnebia benthamii*, *Artemisia absinthium*, *Berberis lycium*, *Bergenia lingulata*, *Datura stramonium*, *Dioscore adeltoidea*, *Lavatera cashmeriana*, *Saussurea costus* and *Taxus wallichina*.

**AND WHEREAS**, the Overa-Aru Wildlife Sanctuary falls in the North-West province (Province 2A) of the Himalayan Zone as per the bio-geographic demarcation by Rodgers and Panwar (1998). This province includes the whole Kashmir valley, characterized by temperate and sub-tropical climate Kashmiri stag or hangul (*Cervus hanglu hanglu*), Kashmir musk deer (*Moschus cupreus*), Himalayan black bear (*Ursus thibetanus*), Himalayan brown bear (*Ursus arctos*), common leopard (*Panthera pardus*), Himalayan grey langur (*Presbytis ajax*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), red fox (*Vulpes vulpes*), brown musk shrew (*Crocidura murina*), yellow throated martin (*Martes flavigula*), long-tailed marmot (*Marmot himaliyana*), Kashmir vampire (*Mergaderma spectrum*), Leisler's Hairy – armed bat (*Nyctalus lessleri*), Kashmir house rat (*Rattus rattus*), birch mouse (*Sicista indica*), Kashmir flying squirrel (*Eoglaucomys fimbriatus*), serow (*Capricornis sumatraensis*), Roule's pika (*Ochotona roylei*), Himalayan griffon vulture (*Gyps himalayensis*), bearded vulture (*Gypaetus barbatus*), Kashmir flycatcher (*Ficedula subrubra*) etc.

**AND WHEREAS**, the natural boundaries of Dachigam National Park, Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Thajwas Wildlife (Baltal) Sanctuary are connected at landscape level. The boundary of Dachigam National Park on North and North Eastern side merges with Overa-Aru Wildlife Sanctuary while as Overa-Aru Wildlife Sanctuary on its North and North-Eastern side merges with Thajwas Wildlife Sanctuary. The protected areas together form a landscape of rich biodiversity and hold good population of some of the important/endemic species of animals, birds and vegetation. The Eco-sensitive zone proposed makes these areas as one unit and will help gene flow across these areas to flourish the biodiversity.

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 200 meters to 13.15 kilometers around the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary, in the Union Territory of Jammu and Kashmir as Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The extent of Eco-Sensitive Zone shall be of 200 m to 13.15 km from the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and comprising of an area of 448.00 sq.km. The extent of Eco-sensitive zone in different directions (kilometres) are as given below:-

Direction	Extent	Location
West	200 m	PWD Water Tank & Reservoir
South	13.15 km	Khrew CR Boundary
South-West	5 km	Khanmoh CR Boundary
South-East	1 km	Mamal Forest, Lidder Nala

East	1 km	Nichhang, Alpine pasture
North- East	1 km	Serbal Village, Sindh Forest
North	1 km	Forest of Sindh
North-West	4 km	Lidwas, Alpine Pasture Dara CR Boundary

- (2) The boundary description of the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.
  - (3) The maps of the Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II A, Annexure-II B, Annexure-II C, Annexure-II D** and **Annexure-II E**.
  - (4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
  - (5) The list of village falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The Union Territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the Union Territory.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union Territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan: -
    - (i) Environment;
    - (ii) Forests;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation & Flood Control;
    - (ix) Pollution Control Board;
    - (x) Municipality;
    - (xi) Panchayati Raj; and
    - (xi) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
  - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
  - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
  - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
  - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the Union Territory Government.**—The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union Territory Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as—

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union Territory Government, whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016, as amended from time to time. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition waste management.**- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the Orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006, 26.04.2023 and 28.04.2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UoI in W.P.(C) No.202 of 1995 and in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012, dated 21.04.2014.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.

6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.
9.	Commercial use of Firewood	Prohibited.
<b>B. Regulated Activities</b>		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:  Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:  Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:  Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.  (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.  (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.

14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.



28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl.No	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Divisional Commissioner, Kashmir	Chairman, ex-officio;
2.	An expert in ecology and environment to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir for a term of three years each.	Non-Official Member;
3.	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of environment conservation to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir for a term of three years each.	Non-Official Member;
4.	An expert in Biodiversity to be to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir for a term of three years each.	Non-Official Member;
5.	Deputy Commissioner, Srinagar	Member, ex-officio;
6.	Deputy Commissioner, Ganderbal	Member, ex-officio;
7.	Deputy Commissioner, Anantnag	Member, ex-officio;
8.	Deputy Commissioner, Pulwama	Member, ex-officio;
9.	Municipal Commissioner, Srinagar	Member, ex-officio;

10.	Director Tourism, Kashmir	Member, ex-officio;
11.	Vice-chairman, Srinagar Development Authority	Member, ex-officio;
12.	Regional Director, J&K State Pollution Control Board, Srinagar	Member, ex-officio;
13.	Senior Town Planner, Kashmir	Member, ex-officio;
14.	Divisional Forest Officer, Sindh Forest Division	Member, ex-officio;
15.	Divisional Forest Officer, Lidder Forest Division	Member, ex-officio;
16.	Divisional Forest Officer, Awantipura	Member, ex-officio;
17.	Divisional Forest Officer, Urban Forestry Srinagar	Member, ex-officio;
18.	Chief Executive Officer, Sonmarg Development Authority	Member, ex-officio;
19.	Chief Executive Officer, Pahalgam Development Authority	Member, ex-officio;
20.	Wildlife Warden, Central Division	Member, ex-officio;
21.	Wildlife Warden, South Division	Member, ex-officio;
22.	Regional Wildlife Warden, Kashmir	Member Secretary, ex-officio.

**6. Functions of the Monitoring Committee :** (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7. Additional measures.-**The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8. Supreme Court, etc. orders.-** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/19/2020-ESZ]

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

## ANNEXURE- I

**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR**

The description of the boundaries of eco-sensitive zone proposed around Dachigam National Park, Overa – Aru and Thajwas Wildlife Sanctuary in physical terms (like roads, hills, river bodies etc.) by starting from a point on the boundary and then moving clockwise along the boundary and reaching back to the starting point is described as under:



Sl. No.	Clockwise point marked on map (Annexure - IIB )	Latitude	Longitude	Distance from PA boundary	Description
1	A79	34° 3' 15.251" N	75° 8' 0.671" E	4000m	Tral Wildlife Sanctuary Boundary
2	A80	34° 2' 58.075" N	75° 4' 43.320" E	5800M	Tral Wildlife Sanctuary Boundary
3	A78	34° 3' 54.827" N	75° 10' 9.078" E	1000 m	CO 22/TRAL FOREST AREA, PAMBACH KHOD
4	A77	34° 3' 32.136" N	75° 11' 49.204" E	1000 m	CO 13/TRAL FOREST AREA
5	A76	34° 0' 51.106" N	75° 11' 47.399" E	1500 m	CO 24/FOREST AREA
6	A75	33° 58' 40.560" N	75° 12' 45.305" E	1000m	CO 3 FOREST AREA, WATWAGAR
7	A74	33° 55' 59.424" N	75° 14' 14.040" E	1000m	CO 51/L FOREST AREA
8	A73	33° 55' 30.071" N	75° 15' 57.718" E	1000M	CO 50/L, OWUR VILLAGE, Lidder Forest
9	A72	33° 56' 24.120" N	75° 17' 31.265" E	1000M	CO 45/L, Lidder Nala
10	A71	33° 57' 15.929" N	75° 18' 3.605" E	1000M	KHELAN FOREST
11	A70	33° 59' 22.631" N	75° 19' 46.479" E	1000M	MAMAL FOREST, Lidder Nala
12	A69	34° 0' 39.145" N	75° 19' 30.680" E	1000 M	MAMAL VILLAGE Lidder Forest
13	A68	34° 2' 18.510" N	75° 18' 46.000" E	1000M	WACHRAN, Lidder Forest
14	A67	34° 4' 17.693" N	75° 20' 27.833" E	2000 M	CO 19/L, FOREST AREA, Sangam
15	A66	34° 5' 56.905" N	75° 22' 34.820" E	2000 M	CO 16, ALPINE PASTURE, sarnar
16	A65	34° 6' 33.678" N	75° 23' 43.486" E	2000 M	Razdan Nar, ALPINE PASTURE
17	A64	34° 7' 17.036" N	75° 24' 47.423" E	2000 m	CO 12/L, ALPINE PASTURE
18	A63	34° 7' 58.882" N	75° 25' 23.100" E	2000 m	Rabemarg, Alpine Pasture
19	A62	34° 8' 0.552" N	75° 26' 31.540" E	2000 M	CHHUT PASS, ALPINE PASTURE
20	A61	34° 7' 4.716" N	75° 27' 28.791" E	2000 m	Astanmarg, Alpine Pasture
21	A60	34° 5' 29.317" N	75° 29' 6.805" E	3500M	WAHABAL TOP, ALPINE PASTURE
22	A59	34° 4' 56.071" N	75° 32' 7.704" E	2000M	GUIDI GALI, ALPINE PASTURE
23	A58	34° 6' 41.702" N	75° 33' 43.985" E	2000M	ALPINE PASTURE

24	A57	34° 9' 16.025" N	75° 33' 34.143" E	1000M	NICHHANG, ALPINE PASTURE
25	A55	34° 13' 3.553" N	75° 28' 22.872" E	1000M	Nagin pathar Sindh Forest
26	A54	34° 14' 27.098" N	75° 25' 33.864" E	1000M	DOMEL FOREST, SINDH Forest
27	A53	34° 16' 48.778" N	75° 21' 57.738" E	1000M	SERBAL VILLAGE, SINDH Forest
28	A52	34° 18' 6.772" N	75° 19' 50.204" E	1000M	ICHAMARG Sindh Forest
29	A51	34° 18' 58.878" N	75° 16' 46.479" E	1000 m	Forest of Sindh
30	A50	34° 18' 5.637" N	75° 14' 56.678" E	1000M	SINDH RIVER
31	A49	34° 17' 29.286" N	75° 14' 31.634" E	300 M	SINDH RIVER
32	A48	34° 16' 56.159" N	75° 14' 1.212" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture
33	A47	34° 15' 49.113" N	75° 14' 49.986" E	1000 M	GANJ FORESTS, SINDH DIVN
34	A46	34° 15' 16.878" N	75° 15' 1.176" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture
35	A45	34° 14' 37.991" N	75° 13' 45.388" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture
36	A44	34° 14' 18.503" N	75° 12' 42.915" E	1000 m	CO 53/S, Alpine Pasture
37	A43	34° 13' 35.740" N	75° 11' 40.523" E	1000 m	CO 49/S, Alpine Pasture
38	A42	34° 12' 36.944" N	75° 10' 45.661" E	1000 m	CO 45/S, Alpine Pasture
39	A41	34° 12' 46.428" N	75° 9' 53.324" E	1000 m	CO 44/S, Alpine Pasture
40	A40	34° 12' 31.919" N	75° 8' 33.634" E	1000 m	CO 41/S, Alpine Pasture
41	A39	34° 12' 17.483" N	75° 7' 29.182" E	1000 m	CO 39/S, Alpine Pasture
42	A38	34° 10' 54.508" N	75° 7' 37.519" E	1000 m	CO 34/MBL, Alpine Pasture
43	A37	34° 9' 44.700" N	75° 5' 30.248" E	1000 m	Hoka Sar, Alpine Pasture
44	A36	34° 11' 25.897" N	75° 3' 11.160" E	1000 m	Sura Pharao Forest, Sindh
45	A35	34° 11' 30.915" N	75° 0' 43.381" E	1000 m	Lidwas, Alpine Pasture
46	A34	34° 12' 58.353" N	74° 55' 33.494" E	4000 m	Lidwas, Alpine Pasture Dara CR Boundary
47	A33	34° 12' 14.645" N	74° 53' 2.294" E	4000 m	Tulapather, Forests Dara CR Boundary
48	A32	34° 12' 0.537" N	74° 55' 9.431" E	2500m	Dara Nala, Darawan, Forests Dara CR Boundary
49	A31	34° 10' 56.846" N	74° 55' 30.008" E	500 m	Chak-i-Dara village
50	A30	34° 10' 30.271" N	74° 54' 28.658" E	200 m	Murinderbagh Village, Water body
51	A29/1	34° 10' 16.143" N	74° 55' 17.265" E	200 m	Agriculture Land, Nu Thid Village
52	A29	34° 9' 22.069" N	74° 55' 46.856" E	200 m	Mahadeo Nar, Agriculture Land
53	A28	34° 9' 21.172" N	74° 55' 11.641" E	200 m	Mavas Kol

54	A27	34° 9' 38.496" N	74° 54' 20.173" E	200 m	PWD Water Tank & Reservoir
55	A26	34° 8' 25.731" N	74° 53' 17.089" E	1220m	Nishat CR Boundary
56	A25	34° 4' 35.364" N	74° 51' 21.879" E	6500M	Khanmoh CR Boundary Zawan Forest
57	A24	34° 3' 6.963" N	74° 54' 15.042" E	5000M	Khanmoh CR Boundary
58	A23	34° 5' 0.460" N	74° 57' 56.832" E	1000M	open scrub
59	A22	34° 3' 23.601" N	75° 0' 45.759" E	3350m	Khanmoh CR Boundary
60	A21	34° 1' 32.777" N	75° 1' 41.557" E	6000M	Khrew CR Boundary
61	A20	33° 57' 50.300" N	75° 2' 12.931" E	13150 M	Khrew CR Boundary
62	A 56	34° 11' 46.161" N	75° 30' 28.774" E	1000M	Panjtarni, Sindh Forest

ANNEXURE-II A


LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION






ANNEXURE-II B

**SATELLITE MAP SHOWING BOUNDARIES OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATION**



ANNEXURE-II C


**TOPOSHEET MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY**






ANNEXURE-II D

LAND USE LAND COVER MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BAL TAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE -II E

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BAL TAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY



## ANNEXURE-III

**TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATES OF THE PROTECTED AREA OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY**

Sl. No.	GPS Point	Latitude	Longitude
1	T1	34 <sup>0</sup> 18' 31.334" N	75 <sup>0</sup> 16' 1.008" E
2	T2	34 <sup>0</sup> 15' 19.739" N	75 <sup>0</sup> 24' 55.872" E
3	T3	34 <sup>0</sup> 8' 48.822" N	75 <sup>0</sup> 32' 56.938" E
4	T4	34 <sup>0</sup> 6' 0.385" N	75 <sup>0</sup> 31' 49.779" E
5	T5	34 <sup>0</sup> 9' 52.582" N	75 <sup>0</sup> 27' 25.352" E
6	O1	34 <sup>0</sup> 15' 39.604" N	75 <sup>0</sup> 15' 37.636" E
7	O2	34 <sup>0</sup> 0' 29.406" N	75 <sup>0</sup> 18' 52.83" E
8	O3	34 <sup>0</sup> 11' 44.538" N	75 <sup>0</sup> 7' 40.264" E
9	O4	33 <sup>0</sup> 56' 9.122" N	75 <sup>0</sup> 16' 29.126" E
10	O5	34 <sup>0</sup> 4' 12.609" N	75 <sup>0</sup> 12' 19.830" E
11	O6	34 <sup>0</sup> 9' 53.328" N	75 <sup>0</sup> 19' 47.445" E
12	North	34 <sup>0</sup> 10' 59.814" N	75 <sup>0</sup> 0' 46.439" E
13	East	34 <sup>0</sup> 7' 18.640" N	75 <sup>0</sup> 8' 49.395" E
14	South	34 <sup>0</sup> 4' 55.882" N	75 <sup>0</sup> 1' 59.025" E
15	Northwest	34 <sup>0</sup> 9' 16.933" N	74 <sup>0</sup> 55' 51.029" E
16	Northeast	34 <sup>0</sup> 9' 12.130" N	75 <sup>0</sup> 5' 17.320" E
17	Southwest	34 <sup>0</sup> 5' 59.836" N	74 <sup>0</sup> 58' 31.401" E
18	Southeast	34 <sup>0</sup> 5' 34.450" N	75 <sup>0</sup> 6' 53.738" E

**B. TABLE SHOWING THE GEO-COORDINATES OF THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARIES OF DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BALTAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY**

Sl. No.	Clockwise point marked on map	Latitude	Longitude
1	A79	34° 3' 15.251" N	75° 8' 0.671" E
2	A80	34° 2' 58.075" N	75° 4' 43.320" E
3	A78	34° 3' 54.827" N	75° 10' 9.078" E
4	A77	34° 3' 32.136" N	75° 11' 49.204" E
5	A76	34° 0' 51.106" N	75° 11' 47.399" E
6	A75	33° 58' 40.560" N	75° 12' 45.305" E
7	A74	33° 55' 59.424" N	75° 14' 14.040" E
8	A73	33° 55' 30.071" N	75° 15' 57.718" E
9	A72	33° 56' 24.120" N	75° 17' 31.265" E
10	A71	33° 57' 15.929" N	75° 18' 3.605" E
11	A70	33° 59' 22.631" N	75° 19' 46.479" E
12	A69	34° 0' 39.145" N	75° 19' 30.680" E
13	A68	34° 2' 18.510" N	75° 18' 46.000" E
14	A67	34° 4' 17.693" N	75° 20' 27.833" E
15	A66	34° 5' 56.905" N	75° 22' 34.820" E
16	A65	34° 6' 33.678" N	75° 23' 43.486" E
17	A64	34° 7' 17.036" N	75° 24' 47.423" E
18	A63	34° 7' 58.882" N	75° 25' 23.100" E
19	A62	34° 8' 0.552" N	75° 26' 31.540" E
20	A61	34° 7' 4.716" N	75° 27' 28.791" E
21	A60	34° 5' 29.317" N	75° 29' 6.805" E
22	A59	34° 4' 56.071" N	75° 32' 7.704" E
23	A58	34° 6' 41.702" N	75° 33' 43.985" E
24	A57	34° 9' 16.025" N	75° 33' 34.143" E
25	A55	34° 13' 3.553" N	75° 28' 22.872" E
26	A54	34° 14' 27.098" N	75° 25' 33.864" E
27	A53	34° 16' 48.778" N	75° 21' 57.738" E
28	A52	34° 18' 6.772" N	75° 19' 50.204" E
29	A51	34° 18' 58.878" N	75° 16' 46.479" E
30	A50	34° 18' 5.637" N	75° 14' 56.678" E



31	A49	34° 17' 29.286" N	75° 14' 31.634" E
32	A48	34° 16' 56.159" N	75° 14' 1.212" E
33	A47	34° 15' 49.113" N	75° 14' 49.986" E
34	A46	34° 15' 16.878" N	75° 15' 1.176" E
35	A45	34° 14' 37.991" N	75° 13' 45.388" E
36	A44	34° 14' 18.503" N	75° 12' 42.915" E
37	A43	34° 13' 35.740" N	75° 11' 40.523" E
38	A42	34° 12' 36.944" N	75° 10' 45.661" E
39	A41	34° 12' 46.428" N	75° 9' 53.324" E
40	A40	34° 12' 31.919" N	75° 8' 33.634" E
41	A39	34° 12' 17.483" N	75° 7' 29.182" E
42	A38	34° 10' 54.508" N	75° 7' 37.519" E
43	A37	34° 9' 44.700" N	75° 5' 30.248" E
44	A36	34° 11' 25.897" N	75° 3' 11.160" E
45	A35	34° 11' 30.915" N	75° 0' 43.381" E
46	A34	34° 12' 58.353" N	74° 55' 33.494" E
47	A33	34° 12' 14.645" N	74° 53' 2.294" E
48	A32	34° 12' 0.537" N	74° 55' 9.431" E
49	A31	34° 10' 56.846" N	74° 55' 30.008" E
50	A30	34° 10' 30.271" N	74° 54' 28.658" E
51	A29/1	34° 10' 16.143" N	74° 55' 17.265" E
52	A29	34° 9' 22.069" N	74° 55' 46.856" E
53	A28	34° 9' 21.172" N	74° 55' 11.641" E
54	A27	34° 9' 38.496" N	74° 54' 20.173" E
55	A26	34° 8' 25.731" N	74° 53' 17.089" E
56	A25	34° 4' 35.364" N	74° 51' 21.879" E
57	A24	34° 3' 6.963" N	74° 54' 15.042" E
58	A23	34° 5' 0.460" N	74° 57' 56.832" E
59	A22	34° 3' 23.601" N	75° 0' 45.759" E
60	A21	34° 1' 32.777" N	75° 1' 41.557" E
61	A20	33° 57' 50.300" N	75° 2' 12.931" E
62	A 56	34° 11' 46.161" N	75° 30' 28.774" E

## ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGE FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DACHIGAM NATIONAL PARK, THAJWAS (BAL TAL) WILDLIFE SANCTUARY AND OVERA-ARU WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

The following villages / townships fall within the proposed ESZ of Dachigam National Park, Thajwas (Baltal) Wildlife Sanctuary and Overa-Aru Wildlife Sanctuary:

**Table A: List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates (Dachigam National Park)**

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
West	Harwan	34° 9' 6.755" N	74° 53' 55.414" E
North - West	Sangarwan	34° 12' 7.839" N	74° 55' 44.493" E
	Alipatanwar	34° 12' 34.883" N	74° 55' 7.277" E
	Sangrish	34° 12' 23.998" N	74° 53' 1.689" E
	Nilpanchal	34° 10' 36.535" N	74° 57' 48.842" E
	Lidwas	34° 10' 7.469" N	74° 59' 6.327" E
	Sonasar	34° 9' 58.283" N	75° 4' 59.318" E
	Chak-i-Dara	34° 10' 55.184" N	74° 55' 42.793" E
	Darawan	34° 10' 50.716" N	74° 57' 3.790" E
South - East	Narastan	34° 3' 44.756" N	75° 6' 8.078" E
	Parangom	34° 4' 37.377" N	75° 5' 10.638" E
	Zuastan	34° 4' 28.826" N	75° 4' 43.266" E
	Hajannar	34° 4' 40.119" N	75° 3' 51.195" E
South	Hakawan	34° 4' 9.288" N	75° 3' 11.158" E

	Arapal Nar	34° 0' 45.312" N	75° 3' 50.430" E
	Wahabkharun	33° 59' 41.933" N	75° 2' 26.015" E
	Mashawan	34° 0' 19.134" N	75° 3' 7.192" E
South	Sangri	34° 5' 44.981" N	74° 58' 47.442" E
South	Pahal Chak	34° 4' 57.139" N	75° 0' 16.550" E
South - East	Guasain	33° 59' 5.227" N	75° 0' 46.357" E
North -East	Darbal	34° 1' 21.075" N	75° 3' 18.698" E
	Sutturbal	34° 2' 25.226" N	75° 3' 15.799" E
	Sethapokhirin	34° 2' 54.372" N	75° 2' 53.756" E
	Nagandar	34° 4' 2.450" N	75° 2' 22.903" E
	Vishnu Pad	34° 1' 56.086" N	75° 0' 15.121" E
	Hokasar	34° 9' 46.028" N	75° 6' 6.465" E
South - West	Gharkut	34° 4' 45.188" N	74° 52' 26.657" E
	Chashma Shahi	34° 5' 4.522" N	74° 53' 19.845" E
	Astanmarg	34° 5' 41.483" N	74° 54' 35.626" E

**Table B: List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates  
(Overa-Aru Wildlife Sanctuary)**

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
North - East	Gonhar	34° 6' 41.460" N	75° 22' 38.632" E
	Koranpathar	34° 5' 6.212" N	75° 20' 37.691" E
	Chuspanthal	34° 4' 30.433" N	75° 20' 25.571" E
	Naginpathri	34° 3' 48.163" N	75° 19' 55.467" E
	Nagrad	34° 3' 32.064" N	75° 19' 20.233" E
	Zarajtsak	34° 3' 14.452" N	75° 18' 25.916" E
	Hajkut	34° 2' 56.095" N	75° 18' 19.490" E
	Braripathri	34° 3' 9.923" N	75° 19' 31.748" E
	Zambarub	34° 3' 4.085" N	75° 19' 1.421" E
	Wowurgasu	34° 2' 49.620" N	75° 17' 52.905" E
East	Laripur	34° 2' 0.264" N	75° 18' 54.076" E
	Pahalgam	34° 0' 48.271" N	75° 19' 15.500" E
South - East	Kaumarg	34° 0' 21.628" N	75° 19' 19.049" E
	Nunwanah	33° 59' 59.090" N	75° 19' 18.119" E
	Ganshibal	33° 59' 34.662" N	75° 19' 21.691" E
	Nitroispathar	33° 58' 46.269" N	75° 19' 31.091" E
	Rakidar	33° 58' 18.367" N	75° 19' 16.612" E
	Lidru	33° 57' 59.147" N	75° 19' 3.859" E
	Khelan	33° 57' 25.722" N	75° 18' 3.718" E
South	Varsiran	33° 56' 44.701" N	75° 17' 35.401" E
	Lar	33° 56' 2.720" N	75° 17' 14.693" E
	Owar	33° 56' 10.072" N	75° 16' 43.168" E
	NalarOwur	33° 56' 42.348" N	75° 15' 53.970" E
	Dahwot	33° 55' 43.079" N	75° 16' 39.136" E
South - West	Watwagan	33° 58' 39.156" N	75° 12' 55.367" E
	Banimarg	33° 59' 57.120" N	75° 12' 48.798" E
	Lichidor	34° 1' 43.928" N	75° 13' 2.038" E
	Pambagai	34° 3' 55.140" N	75° 11' 1.623" E
	PambachKhod	34° 4' 28.345" N	75° 9' 52.002" E
North	Deo Masjid	34° 10' 17.132" N	75° 7' 8.045" E
	Yamhar	34° 12' 21.636" N	75° 9' 7.605" E
	Gumbar	34° 12' 38.221" N	75° 11' 16.754" E

**Table C: List of Villages falling in the extent of the ESZ with Geo-coordinates  
(Thajwas Wildlife Sanctuary)**

Direction	Name of the village	Latitude (N)	Longitude (E)
North - East	Shitkari	34° 18' 27.051" N	75° 15' 37.234" E
	Thajwas	34° 18' 14.630" N	75° 16' 22.825" E
North	Sonamarg	34° 18' 12.004" N	75° 17' 57.697" E
North - West	Nilagarar	34° 17' 33.985" N	75° 19' 33.272" E
	Kokaran	34° 17' 5.503" N	75° 20' 34.803" E
	Ranga	34° 16' 1.997" N	75° 22' 56.646" E
	Baltal	34° 15' 13.873" N	75° 25' 10.132" E
	Domel	34° 14' 8.346" N	75° 24' 57.546" E
	Brarimarg	34° 13' 2.859" N	75° 26' 55.023" E
	Kuthpathar	34° 12' 47.019" N	75° 27' 46.960" E
	Naginpathar	34° 12' 27.517" N	75° 28' 20.634" E
	Sangam	34° 12' 8.537" N	75° 28' 47.432" E
East	Panjtarni	34° 11' 24.006" N	75° 30' 7.580" E
	Prajmarg	34° 10' 36.596" N	75° 31' 0.492" E
South - East	Nichhang	34° 8' 47.776" N	75° 33' 2.310" E
	Kainmar	34° 6' 33.065" N	75° 33' 22.637" E
	Vaujan	34° 6' 4.290" N	75° 30' 27.261" E
	Wahbal	34° 7' 8.131" N	75° 30' 35.322" E
	SaskatGulu	34° 7' 5.742" N	75° 28' 40.851" E
	Gurlopun	34° 7' 37.227" N	75° 27' 19.300" E
South	PoshpatharGulu	34° 8' 16.873" N	75° 27' 7.015" E
	Naunar	34° 9' 43.038" N	75° 27' 22.340" E
South - West	Keinar	34° 9' 2.534" N	75° 27' 35.277" E
	Rabemarg	34° 8' 40.610" N	75° 25' 2.823" E
	Danderangulu	34° 7' 39.144" N	75° 23' 54.155" E

#### ANNEXURE-V

#### Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.